न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 26/2013

1 श्रीमती कमला देवी पत्नी दुलीचन्द जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महिपाल पुत्र मोती।
2 मोहनलाल पुत्र हनुमान प्रसाद समस्त जाति जाट निवासीगण हरीपुरा (जीणी) तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.12.2012 उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा प्रकरण संख्या 375/2012 शीर्षक महिपाल बनाम कमला देवी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 28.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 375/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 102, 105 के संदर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार होने पर यह अपील प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 105 में रास्ता की मांग रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 महिपाल द्वारा की गई है जबकि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.83 हैक्टेयर सह–खातेदारी की भूमि है, जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कब्जा काश्त न होकर अन्य खातेदारों का कब्जा काश्त है खसरा नम्बर 105 स्थित जिणी की खातेदारी हवासिंह, नरेश, सत्यवीर, भूपसिंह, पुत्रगण फूलाराम, मून्नी पुत्री फूलाराम, भतेरी पत्नी स्व. फूलाराम, नन्दराम, धोकलराम, रामकरण, गोकुल, केहरसिंह नाम से है, अकेले महिपाल पुत्र मोती के नाम से खातेदारी नहीं है। उक्त अनुसार मोती व फूलाराम के वारिसान की सह खातेदारी है। उक्त खसरा नम्बर 105 बंटवारे में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हिस्से में आया हो, ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है न ही रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दिया गया प्रार्थना पत्र में इस का विवरण दिया गया है। भूमि खसरा नम्बर 102 अपीलान्ट कमला देवी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 मोहनलाल की सह खातेदारी में दर्ज है। जिसका अभी तक विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। जब तक सह खातेदारी की भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर सामूहिक कब्जा माना जावेगा, इस कानूनी बिन्दू को भी नजर अन्दाज किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया है। खसरा नम्बर 102 के खातेदार रेस्पोडेन्ट नं. 2 को भी नहीं सुना गया है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 की तामील तक नहीं करवाई गई है। पत्रावली दिनांक 21.11.2012 को रेस्पोडेन्ट नं. 2 की तामील में रखी गई थी और आगामी पेशी दिनांक 05.12.2012 नियत की गई थी परन्तु दिनांक 05.12.2012 की ऑडरशीट में तामील के बारे में कोई आदेश नहीं है। इसके बाद दिनांक 19.12.2012 को पत्रावली रखी गई है, दिनांक 19.12.2012 से दिनांक 26.12.2012 को पत्रावली रखी गई है, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं कि गई है। दिनांक 26.12.2012 को पत्रावली पर बहस सुनकर आदेश हेतु दिनांक 28.12.2012 रखी गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं. 2 की तामील तक नहीं करवाई गई। पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार सूरजगढ़ ने दिनांक 20.07.2012 को जो मौका निरीक्षण किया गया है वह अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 2 की गैर मौजूदगी में किया गया है। खसरा नम्बर 105 के पूर्व में खसरा नम्बर 101, 100 व खसरा नम्बर 103 की पूर्वी सीमा से होकर कदमी रास्ता पगडंडी के रूप में जाता था व उक्त रास्ता खसरा नम्बर 101, 100, 103, 105 व खसरा नम्बर 104 सभी खातेदारों के खेतों में होकर गुजर सकता है। पहले भी यह रास्ता खसरा नम्बर 101, 100 व 103 से होकर जाता था परन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलान्ट के खेत में मात्र सीधा व कम दूरी होने से रास्ते की भाग बिना किसी कारण के की गई है। जो न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 2 की भूमि खसरा नम्बर 102 सिंचित भूमि है, जिसमें रबी व खरीफ दोनों फसल होती है, जबकि पूर्व में जो रास्ता जाता था, वे बारानी खेत है। इस प्रकार अपीलान्ट की सिंचित भूमि को काफी नुकसान होता है और खसरा नम्बर 102 में से होकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 आज तक नहीं गया न रास्ता रहा है। खसरा नम्बर 102, खसरा नम्बर 105 के नजदीक होने से इस खेत में से रास्ता मांगना कानूनन किसी भी तरफ उचित नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार तामीली प्रकिया पूर्ण कर धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 21.11.2012 को तलबी अनावेदकगण संख्या 2 हेतु दिनांक 05.12.2012 को नियत की गई। इसके उपरान्त तलबी पूर्ण किये बिना ही दिनांक 28.12.2012 को विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना पारित किये जाने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तामीली कार्यवाही पूर्ण कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर